राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 3 सितम्बर, 2009 / 12 भाद्रपद, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 13*th August*, 2009

No. HFW-B(B)2-4/2008-loose.—On the recommendations of Himachal Pradesh Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to offer an appointment as Assistant Professor to Dr.Anuradha Sharma in the department of Microbiology in IGMC, Shimla (Class-I Gazetted) in the pay scale of Rs. 16350-20100/- per month plus allowances as admissible in the department of Medical Education & Research, Himachal Pradesh on the following terms and conditions:—

2. (a) That the post is temporary but likely to continue/become permanent.

(b) She will be on probation for a period of two years and during the period of probation her services can be terminated at any time without giving any notice. After completion of the probation period, the appointment can be terminated at any time by giving one month's notice or pay in lieu thereof by the appointing authority without giving any reasons.

(c) Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders in force from time to time.

(d) The appointment carries liability to serve in any part of India/Himachal Pradesh including the Defence at the time of emergency.

(e) She will have to contribute compulsorily to the contributory pension scheme at such minimum rates as prescribed in H.P. Civil Services Contributory Pension Rules-2006.

(f) Private practice of any kind what so ever is prohibited. A non practicing allowance as admissible under the rules will be paid to her.

(g) The appointment is also subject to the verification of character antecedents, which will be got verified later on. In case the character antecedents are not found satisfactory, the services shall be liable to be terminated without giving any notice.

(h) If the above doctor is in regular service of State Government, her pay shall be fixed as per provision of the relevant rules and regulations in force.

(i) It shall be mandatory to become member of HPGIS *w.e.f.* 1-4-2010.

3. The appointment will also be further subject to the production of the following certificates/declarations:—

(i) Certificate of fitness by the Medical Board of DDU Hospital, Shimla, if not already produced (only in case of in service candidates). The fresh appointee is required to furnish this certificate.

(ii) Declaration that he/she has only one living wife/she has only one living spouse.

(iii) Taking of an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India on making a solemn affirmation to that effect.

4. If the appointee accept the offer of appointment on the above terms and conditions, he/she after having been declared medically fit by a Medical Board should report for duty to the Principal IGMC,Shimla within a period of 15 days, failing which the offer of appointment shall be treated as cancelled.

5. No traveling allowance shall be allowed for joining the appointment.

6. No extension will be given to join the assignment.

By Order,
Sd/-
Principal Secretary.

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29*th August*, 2009

No. HFW-B(B)15-4/2005-Vol-II.—In partial modification of this department's notification of even No. dated 21.7.2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add/substitute the following:—

2.3. The MDS doctors presently working on contract shall continue to work as such till their contract period is over. After that they will be offered fresh contract under this policy till their total contract period is 3 years. On completion of 3 years period on contract they will have to appear in the examination for selection as tenure Lecturer.

Tenure of BDS doctors appointed under this policy will be for one year, therefore, following will be substituted :—

8.2. 'Yearly tenure' in place of 6 monthly tenure.
10.1. ' for one year' in place of ' 6 months'
10.2. 'After every one year' in place of every 6 months.
10.5. (b) faculty member shall include 'Senior Resident" also .

By Order,
DEEPAK SANAN,
Principal Secretary.

———

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अगस्त, 2009

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू–बी(ए)2–2 / 2001–II.––प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2009 हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2003, की धारा 31 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16–8–2007 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधारण) में 11–9–2007 को प्रकाशित किया गया था; और इस निमित उक्त प्रारूप नियमों की बाबत नियत अवधि के दौरान जन साधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थातः–

नियम

1. संक्षिप्त नाम.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं.––(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्व न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत है ;

(ख) ''उपाबंध'' से इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध अभिप्रेत है ;

(ग) ''परिषद्'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) ''विहित फीस'' से परिषद् द्वारा प्रभार्य और इन नियमों में विहित फीस अभिप्रेत है ;

(ङ) ''रजिस्टर'' से इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन बनाए रखा जाने वाला फीस का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(च) ''रजिस्ट्रार'' से अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(छ) ''फीस की अनुसूची'' से इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और

(झ) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम के अधीन उनके हैं ।

3. फीस.––(1) परिषद् को प्रत्येक आवेदन इन नियमों के उपाबन्ध 'क' में दी गई फीसों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित फीस के संदाय के साथ किया जाएगा ।

(2) इन नियमों में यथाविहित, परिषद् को संदेय फीस, रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् के पक्ष में जारी शिमला में संदेय, बैंक ड्राफ्ट या अदायगी (संदाय) आदेश द्वारा संदत्त की जाएगी। एक हजार रूपए से अनधिक रकम के लिए, परिषद, नकद संदाय स्वीकार कर सकेगी।

(3) परिषद् को संदेय फीस, रजिस्ट्रार या इस निमित उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा परिषद् के निमित प्राप्त की जाएगी, और उसी दिन या जिस दिन इसे प्राप्त किया है, के आगामी दिन को, ऐसे बैंक और ऐसी शाखाओं, जैसी परिषद् समय–समय पर निदिष्ट करे, परिषद् द्वारा अनुरक्षित बैंक खाते में जमा की जाएगी और फीस प्राप्त किए जाने के बदले यथास्थिति, रजिस्ट्रार या फीस प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा उपाबन्ध 'ख' में दिए गए प्ररूप में रसीद दी जाएगी और इन नियमों के उपाबन्ध 'ग' में प्ररूप में इस प्रयोजन के लिए विहित रजिस्टर में प्रविष्ट (दर्ज) की जाएगी।

(4) जब तक कि कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस निमित विरचित नियमों के विरूद्ध न हो, परिषद् जब आवश्यक समझे, उपनियम (3) के अधीन बैंक खाते में जमा की गई फीस को, अधिनियम के अधीन परिषद् के व्ययों की पूर्ति के लिए उपयोग करेगी ।

4. प्रतिदाय.––परिषद् द्वारा फीस हेतु प्राप्त की गई रकम का किन्हीं भी परिस्थितियों में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त रकम परिषद् के लेखे में ही जमा रहेगी :

परन्तु किसी याची द्वारा विहित फीस, से अधिक संदत की गई किसी रकम को परिषद् के निलंबन खाते (ऊंचत खाते) में जमा किया जाएगा और यदि तीन वर्ष की अवधि के भीतर दावा किया जाता है तो यह

प्रतिदत की जा सकेगी और यदि उपरोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय हेतु कोई दावा नहीं किया जाता है तो रकम को परिषद् के खाते में जमा कर लिया जाएगा

उपाबन्ध–क

(नियम 3 (1) देखें)

फीस की अनुसूची

क्रम संख्या	आवेदन का स्वरूप	कानूनी उपबंध	फीस (रुपयों में)	टिप्पणियां
1.	रजिस्ट्रीकरण के लिए ।	रजिस्ट्रीकरण नियम के उपनियम (1) और (3) के साथ पठित धारा 15, 16 और 31 (2) (ज)	1000 / –(एक हजार रुपए)	––
2.	अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए ।	रजिस्ट्रकरण नियम के नियम 4 के साथ पठित धारा 18 और 31 (2) (1)	500 / – (पांच सौ रुपए)	
3.	प्रत्येक अतिरिक्त अर्हताओं की प्रविष्टि करने के लिए।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 8 के साथ पठित धारा 19 (5) और 31 (2) (ञ)	500 / –(पांच सौ रुपए)	––
4.	रजिस्टर में नाम परिवर्तन अभिलिखित करने के लिए ।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 7 के साथ पठित धारा 19(4), 31 (2) (ञ)	500 / – (पांच सौ रुपए)	––
5.	रजिस्ट्रीकरण / अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए ।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 15 के साथ पठित धारा 19 (6) और 31 (2) (ञ)	100 / – (एक सौ रुपए)	––
6.	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की सत्यापित प्रति जारी करने के लिए।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 16 के साथ पठित धारा 20 (4) का (परन्तुक)	100 / –(एक सौ रुपए)	जहां प्रति अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित है । 200 / –रुपए
7.	रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 3(3), नियम 9 और नियम 10 के साथ पठित धारा 23 (2) और 31(2) (ड़)	1000 / –(एक हजार रुपए)	––
8.	चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के प्रत्यावर्तन के लिए फीस।	रजिस्ट्रीकरण नियम के नियम 13 के साथ पठित धारा 22 (2)	1000 / –(एक हजार रुपए) और 31 (2) (ठ) और (ङ)	––
9.	अरजिस्ट्रीकरण के लिए विलम्ब फीस (अप्रतिदेय फीस) (क) तारीख जब से रजिस्ट्रीकरण देय था 6 मास की अवधि तक ;	धारा 31 (1) ––– ––– –––	शून्य 500 / –(पांच सौ रुपए) 500 / –(पांच सौ रुपए) जमा अतिरिक्त 500 / –(पांच सौ रुपए) प्रतिवर्ष	––

	(ख) छह मास से अधिक किन्तु एक वर्ष से पूर्व की अवधि के लिए ; (ग) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ।			
10.	रजिस्ट्रीकरण के अनवीनीकरण के लिए विलम्ब फीस, (अप्रतिदेय फीस)– (क) तारीख जब से रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए देय है छह मास की अवधि तक ; (ख) छह मास से अधिक, किन्तु एक वर्ष तक की अवधि के लिए ; (ग) एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए ।	धारा 31 (1) ——— ——— ———	500 / –(पांच सौ रुपए) 1000 / –(एक हजार रुपए) 1000 / –(एक हजार रुपए) जमा अतिरिक्त 1000 / –(एक हजार रुपए) प्रतिवर्ष	––
11.	अनापति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ।	रजिस्ट्रीकरण नियम का नियम–13	500 / –(पांच सौ रुपए)	––
12.	रजिस्ट्रार, परिषद् या कार्यकारी समिति द्वारा पारित आदेशों / दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों की पूर्ति के लिए .–– (क) यदि सम्यक अनुक्रम में अपेक्षित हो ; (ख) यदि अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हो।	रजिस्ट्रीकरण नियम का नियम–16	न्यनू तम बीस रुपए के अध्यधीन 1 10 / –(दस रुपए) प्रति पृष्ठ 5 / –(पांच रुपए) प्रति पृष्ठ ।	पृष्ठ में शब्दों / पंक्तियों की संख्या का विचार किए बिना।
13.	रजिस्ट्रार के आदेश के विरूद्ध परिषद् को अपील दाखिल करने के लिए – (क) यदि अपील आवेदक के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध हो; (ख) यदि अपील आवेदक से अन्यथा किसी व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश के विरूद्ध हो ।	साधारण नियमों के नियम 47 के साथ पठित धारा 24 ——— ———	100 / –(सौ रुपए) 200 / – (दो सौ रुपए)	––

टिप्पण :–– इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए.––

(क) 'रजिस्ट्रीकरण नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2009 अभिप्रेत है।

(ख) 'निर्वाचन नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2009 अभिप्रेत है ।

(ग) 'साधारण नियम' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (साधारण) नियम, 2009 अभिप्रेत है।

उपाबन्ध–ख

(नियम 3 (3) देखें)

रसीद	**रसीद**
हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्	हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद्
बही संख्या : क्रम संख्या : तारीखः	बही संख्या : क्रम संख्या : तारीखः
श्री/श्रीमती————————से———————रुपए की राशि (——————————————————रूपए) ——————————————————के लेखे (मद्दें) रोकड़/अदायगी (संदाय) आदेश के माध्यम से/मांग देय ड्राफ्ट से प्राप्त की ।	श्री/श्रीमती————————से———————रूपए की राशि (——————————————————रूपए) ——————————————————के लेखे (मद्दें) रोकड़/अदायगी (संदाय) आदेश के माध्यम से/मांग देय ड्राफ्ट से प्राप्त की ।
रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार

उपाबन्ध–ग

(नियम 3 (3) देखें)

हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् फीस का रजिस्टर

क्रम संख्या	आवेदन संख्या	मांग देय ड्राफ्ट/ अदायगी (संदाय) आदेश विप्रेषित करने (छूट देन) वाले व्यक्ति का नाम	मांग देय ड्राफ्ट/ अदायगी (संदाय) आदेश केविप्रेषण (रिमैटैस) का प्रयोजन	मांग देय ड्राफ्ट/ अदायगी (संदाय) आदेश की संख्या और तारीख	मांग देय ड्राफ्ट/ अदायगी (संदाय) आदेश लेखे की विशिष्टियां	बैंक का नाम	प्रविष्टि करने वाले लिपिक का नाम और अद्याक्षर	पदधारी जिसे मांगदेय ड्राफ्ट/ अदायगी (संदाय) आदेश पारित किया गया है का नाम और अद्याक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Test of this Department Notification No. HFW-B(A)2-2/2001-II, dated 16-8-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 13*th August,* 2009

No. HFW-B(A)2-2/2001-II.—Whereas the draft rules titled as the Himachal Pradesh Medical Council (Fee) Rules, 2009 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 11-9-2007 *vide* notification of even number dated 16-8-2007 for inviting objections and suggestions from person likely to be affected thereby as required under Section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, within a period of 30 days from the date of publications ;

And, whereas no objection/suggestion has been received in this behalf from general public on the said draft rules during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act,2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to made the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title.—**(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Fees) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh .

2. Definitions.— (1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh, Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);

(b) "Annexure" means the annexure annexed to these rules;

(c) " Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act;

(d) "prescribed fee" means fee chargeable by the Council and prescribed in these rules;

(e) "register" means the register of fees to be maintained under sub-rule (3) of rule 3 of these rules;

(f) "Registrar" means the Registrar of the Council to be appointed under sub-section (1) of section 14 of the Act ;

(g) "Schedule of Fees" means Schedule of fees specified under sub-rule (1) of rule 3 of these rules;

(h) "section" means a section of the Act; and

(i) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh.

(2) The terms and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them under the Act.

3. Fees.—(1) Every application to the Council shall be made alongwith payment of appropriate fees specified in the Schedule of Fees given in Annexure "A" to these rules.

(2) The fees payable to the Council, as prescribed in these rules, shall be paid by means of a Bank Draft or Pay Order drawn in favour of the Registrar, Himachal Pradesh State Medical Council, payable at Shimla. For amounts not exceeding Rs. 1000/- the Council may accept cash payments.

(3) The fees payable to the Council shall be received by the Registrar, or any other employee of the Council authorized by him in writing in this behalf, on behalf of the Council and shall be deposited on the same day, or the day following that on which these are received, in a Bank account to be maintained by the Council at such Bank and in such Branches as the Council may direct from time to time and receipt in the Form as given in Annexure "B" shall be given by the Registrar or the employee receiving the fees, as the case may be, in lieu of having received the fees, and shall be entered in the register prescribed for the purpose in the Form in Annexure "C" to these rules.

(4) Unless there is anything repugnant in the rules framed by the State Government in this behalf the Council shall, whenever it considers necessary, utilize the fees deposited in the Bank account under sub-rule (3) for meeting the expenses of the Council under the Act.

4. Refund.—Amounts received by the Council towards fees shall not be refunded under any circumstances. The amounts thus received shall remain credited to the account of the Council:

Provided that any amount paid by a petitioner in excess of the prescribed fees shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council.

———

ANNEXURE-A

[See rule 3 (1)]

SCHEDULE OF FEES

Sr. No.	Nature of application	Statutory provisions	Fees (in rupees)	Remarks
1.	For registration	sections 15, 16 and 31 (2) (h) read with sub-rule (1) and (3) of registration rules	1,000/-	
2.	For provisional registration	sections 18 and 31 (2) (i) read with rule 4 of registration rules.	500/-	
3.	For entering each additional qualifications	Section 19 (5) and 31 (2) (j) read with rule 8 of registration rules	500/-	

4.	For recording change of name in the register	Section 19 (4), 31 (2) (j) read with rule 7 of the registration rules.	500/-	
5.	For issuance of duplicate certificate of registration/ provisional registration	Section 19 (6) and 31 (2) (j) read with rule 15 of the registration rules.	100/-	
6.	For issuance of a certified copy of an entry in the register	Section 20 (4) (proviso) read with rule 16 of the registration rules.	100/-	Rs. 200/- where copy is urgently required.
7.	For renewal of registration	Section 23 (2) and 31 (2) (m) read with ruele 3 (3), rule 9 and rule 10 of the registration rules.	1000/-	
8.	Fees for restoration of registration in the register of medical practitioners.	Section 22 (2) and 31 (2) (l) and (m) read with rule 13 of the registration rules.	1000/-	
9.	Late fee for non registration (non refundable fees) – (a) upto period of six months from the date from which registration was due; (b) for period more than six months but before 1 year; (c) for period more than 1 year	Section 31 (1)	 Nil 500/- 500/- plus additional 500/- per year.	
10.	Late fees for non-renewal of registration, (non refundable fees)- (a) upto six months from the date from which the registration is due for renewal (b) for period more than six months, but upto one year. (c) for period more than one year	Section 31 (1)	 500/- 1000/- 1000/- plus additional 1000/- per year	

11.	For issue of No Objection Certificate	Rule 13 of the registration rules	500/-	
12.	For supply of certified copies of documents/orders passed by the Registrar, Council or the Executive Committee – (a) if required in due course. (b) if urgently required	Rule 16 of the registration rules	5/- per page 10/- per page subject to minimum of twenty rupees.	Irrespective of number of words/ lines in a page
13.	For filing an appeal to the Council against the order of the Registrar (a) if the appeal is against the order passed against the applicant; (b) if the appeal is against the order passed against any person other than the applicant.	Section 24 read with rule 47 of the general rules.	 Rs.100/- Rs. 200/-	

Note.—For the purposes of this Schedule,—

(a) "registration rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (Registration) Rules, 2009

(b) "election rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (Election) Rules, 2009.

(c) "general rules" means the Himachal Pradesh Medical Council (General) Rules, 2009.

Annexure-B

[See rule 3 (3)]

RECEIPT	RECEIPT
HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL	HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL
Book No.	Book No.
Serial No. Dated:	Serial No. Dated:
Received from Shri/Shrimati……	Received from Shri/Shrimati.....
…….....	……..……
the sum of Rs……..(Rupees.....	the sum of Rs……...…….. (Rupees

……………………....……………) on account of………………......………………….. in cash/ through pay order/DD………………………..…. Registrar	………………….............………….........………) on account of……….........……….……….. in cash/ through pay order/ DD……………......…………. Registrar

Annexure-C

(See rule 3 (3)]

HIMACHAL PRADESH STATE MEDICAL COUNCIL REGISTER OF FEES

Sr. No..	Application No.	Name of person Remitting Demand/ Draft/Pay Order	Purpose of remittance of Demand Draft/Pay Order	No.& date of Demand Draft/ Pay Order	Particulars of Demand Draft/ Pay/ Order amount	Name of the Bank	Name & initials of Clerk Making entry	Name & initials of the officials to whom Draft/ pay order has been passed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

By order,
Sd/-
Principal. Secretary.

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 30*th July*, 2009

No. HFW-B(B)2-4/2008.—In partial Modification of this department notification of even No. dated 30th July, 2009, the Governor Himachal Pradesh is pleased to offer an appointment to Dr. Rama Thakur, Assistant Professor (OBG), in the cadre of Dr. RPGMC Kangra at Tanda instead of IGMC, Shimla.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 13 अगस्त, 2009

संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू—–बी(ए)2–2 / 2001–III.—–प्रारूप नियम नामतः हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् **(रजिस्ट्रीकरण)** नियम समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16–8–2007 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (आसाधारण) में, 14–9–2007 को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किए गये थे ;

और उक्त प्रारूप नियमों के बारे में नियत अवधि के दौरान जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थातः–

प्रारूप नियम

भाग–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इन नियमों में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्व न हो;

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) ''परिषद्'' से अधिनियम की धारा–3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) ''कार्यकारी समिति'' से अधिनियम की धारा–11 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(ध) "प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(च) ''विहित फीस'' से राज्य सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2009 या अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धो के अधीन विहित फीस अभिप्रेत है;

(छ) ''अध्यक्ष'' से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) ''रजिस्टर'' से अधिनियम की धारा 15 के अधीन तैयार किया गया और बनाए रखा गया चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(झ) ''रजिस्ट्रार'' से अधिनियम की धारा 14 के अधीन समय–समय पर परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाने वाला परिषद् का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ञ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ट) ''राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(ठ) ''उपाध्यक्ष'' से परिषद का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

भाग–2 रजिस्ट्रीकरण

3. व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण.––(1) कोई व्यक्ति जो भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 का 102) की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में कोई भी अर्हता रखता हो, उस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिकथित किन्हीं शर्तों के अघ्यधीन, और इसमें संसक्त सेवा में हो, या हिमाचल प्रदेश राज्य में चिकित्सा की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में व्यवसाय करने की बांछा रखता हो, प्रारूप 'क' में अर्जित शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण–पत्रों की प्रतियों, चार पासपोर्ट आकार के फोटो और विहित फीस सहित, रजिस्ट्रार को आवेदन करते हुए, परिषद् के वास्तविक (लाइव) रजिस्ट्रर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्रत्येक आवेदक, इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय, प्ररूप 'ख' में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित घोषणा, इस प्रमाण पत्र सहित कि उसने उसे पढ़ लिया है और वह उससे सहमत है, प्रस्तुत करेगा।

(3) रजिस्ट्रार, आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् आवेदक से, ऐसी अन्य सूचना या दस्तावेजों जैसा वह आवेदक के दावे को तैयार करने के लिए आवश्यक समझे, की पूर्ति करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) यदि रजिस्ट्रार का, आवेदक से उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, या उपनियम (3) के अधीन अतिरिक्त सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति पर और ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात, समाधान हो जाता है कि आवेदक, रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि करवाने का हकदार है तो वह रजिस्टर में उसके नाम की प्रविष्टि करेगा और यदि उसका ऐसा समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(5) उस व्यक्ति जिसके नाम की प्रविष्टि उपनियम (4) के अधीन रजिस्टर में की गई है को विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार द्वारा, प्रारूप 'ग' में एक प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा। और व्यक्ति जिसका आवेदन अस्वीकार हुआ है, को आवेदन पर आदेश पारित किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर विनिश्चय सूचित किया जाएगा।

(6) धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् विहित फीस के साथ रजिस्ट्रार को आवेदन करते हुए अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा। रजिस्ट्रार मूल प्रमाण–पत्र पर नवीकरण पृष्ठांकित करेगा।

4. अंनतिम रजिस्ट्रीकरण.––नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसने भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्थान से मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के लिए अर्हता परीक्षा उतीर्ण की है, इनटर्नशिप प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतू अन्नतिम, अस्थाई तौर पर रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा और अन्नतिम, रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित फीस के साथ प्ररूप 'घ' में रजिस्ट्रार को आवेदन किए जाने पर, रजिस्ट्रार, प्ररूप ''ड'' में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

5. रजिस्टर तैयार करना.––(1) धारा 15 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए चिकित्सा व्यवसायियों का रजिस्टर प्ररूप– 'च' में होगा।

(2) रजिस्ट्रार, रजिस्टर तैयार होने के पश्चात राजपत्र में तथा ऐसे समाचार पत्रों में जिनका परिषद् चयन करे रजिस्टर तैयार करने के बारे में नोटिस प्रकाशित करवाएगा। और ऐसे नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रजिस्टर प्रवृत होगा।

(3) रजिस्ट्रार प्रतिवर्ष, कार्यकारी समिति द्वारा निश्चित की जाने वाली तारीख को, या उससे पूर्व या यदि परिषद् द्वारा कार्यकारी समिति का गठन नहीं किया गया है तो प्रकाशित की जाने वाली सूची की युक्तिका (अडेंडम) और शुद्विपत्र प्रकाशित करेगा तथा रजिस्टर में नाम के प्रकाशन के पश्चात् केवल उसका अन्तिम संस्करण ही रजिस्ट्रीकरण का वैद्य साक्ष्य होगा ।

6. रजिस्ट्रार को नाम परिवर्तन की सूचना का दिया जाना.––यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अपने नाम में परिवर्तन करता है, तो वह इसके बारे में तुरन्त रजिस्ट्रार को सूचित करेगा और रजिस्ट्रार का समाधान करेगा, कि उसने नाम परिवर्तन के तथ्य को, उस क्षेत्र जिसमें वह अपना कारोबार चला रहा है में व्यापक प्रचलन वाले अग्रणी समाचार पत्र में पहले से ही अधिसूचित करवा दिया है। रजिस्ट्रार, इस प्रकार समाधान होने पर और विहित फीस की प्राप्ति पर, तद्नुसार परिवर्तित नाम को रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में भी आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा।

7. पते का परिवर्तन.––प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, अपने पते में किसी परिवतर्न की सूचना तुरन्त रजिस्ट्रार को भेजेगा ताकि उसका सही पता रजिस्टर में सम्यक रूप से अन्तः स्थापित किया जा सके, अन्यथा ऐसे व्यवसायी का नाम रजिस्टर से हटाए जाने के लिए दायी होगा।

8. अतिरिक्त अर्हताओं के विषय में रजिस्टर में प्रविष्टियां.––(1) परिषद् से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 1956 का 102) की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, उनके द्वारा अर्जित अतिरिक्त अर्हताओं को, विहित फीस के संदाय पर, परिषद् के रजिस्टर के प्ररूप–'छ' में दर्ज करने के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे।

(2) आवेदक, उपनियम (1) के अधीन अपने आवेदन के साथ, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित, यथास्थिति सुसंगत डिग्री, डिप्लोमा, जिसके आधार पर रजिस्टर में प्रविष्टि चाहता है, को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार आवेदक से उसके दावे की तुष्टि करने के लिए, यथा स्थिति, मूल डिग्री या डिप्लोमा पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) अतिरिक्त अर्हता (ओं) के लिए आवेदन और उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत की गई और सूचना की जांच के पश्चात, आवेदक द्वारा प्ररूप 'ग' में रजिस्ट्रीकरण के मूल प्रमाण–पत्र को वापस करने के बदले, अतिरिक्त अर्हताओं को सम्मिलित करके नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा तथा प्रमाण–पत्र विधि मान्यता की अवधि, अतिरिक्त अर्हताओं को सम्मिलित करने की तारीख के साथ मूल प्रमाण–पत्र वाली ही होगी।

(4) यदि रजिस्ट्रार का, उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर या उपनियम (2) के अधीन आवेदक द्वारा दी गई और सूचना की प्राप्ति पर और जैसी वह उचित समझे ऐसी और जांच करने के पश्चात् समाधान हो जाता है कि आवेदक रजिस्टर में दर्ज यथास्थिति, डिग्री या डिप्लोमा का हकदार नहीं है, तो वह आवेदन को नामंजूर करेगा) :

परन्तु आवेदक को सुनवाई का युक्ति मुक्त अवसर दिये बिना किसी आवेदन को नामंजूर करने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

9. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.––(1) परिषद् द्वारा प्ररूप 'ज' में आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू विहित फीस की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र नवीकृत किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उचित पाया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण नवीकृत करेगा।

(3) रजिस्ट्रार, धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन नोटिस के प्रकाशन की तारीख के पश्चात, ऐसी तारीख जिसे कार्यकारी समिति सरकार की पूर्व मंजूरी से विनिश्चित करें, और तत्पश्चात प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से नोटिस, के प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर अपने–अपने नामों को रजिस्टर में सत्त बनाए रखने हेतू रजिस्ट्रार को आवेदन करने की अपेक्षा वाला नोटिस राजपत्र में प्ररूप 'झ' में प्रकाशित करवाएगा।

10. धारा 15(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस.––(1) रजिस्ट्रार, अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में और दो ऐसे समाचार पत्रों में जिनका चयन परिषद् द्वारा किया जाएगा,

प्ररूप 'ञ' में साधारण नोटिस प्रकाशित करवाएगा, जिसके द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जिसका नाम प्रथम मई, 1961 से पूर्व भारतीय चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर में दर्ज था तथा अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक जिसका नाम ऐसे रजिस्ट्रीकरण में निरंतर बना रहा हो अपेक्षा करेगा कि यदि वह इस अधिनियम के अधीन बनाए रखे गए रजिस्ट्रर में अपना नाम दर्ज करवाने का इच्छुक है तो उसे रजिस्ट्रार को विहित शुल्क संदत करने को कहा जाएगा तथा ऐसे ही प्रयोजन के लिए वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को प्ररूप 'ट' में उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत नोटिस भेजेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो रजिस्टर में अपने नाम की प्रविष्टि करवाने के लिए आवेदन करता है और साधारण नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति से पहले, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए विहित फीस का संदाय कर देता है, तो उसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया जाएगा।

(3) वह व्यक्ति, जिस का नाम उपनियम (2) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट कर लिया गया है, को प्ररूप 'ग' में प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

11. रजिस्टर से हटाया जाना.––जब भी रजिस्ट्रार के कार्यालय में सूचना पहुंचती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा परिभाषित संज्ञेय अपराध में व्यवसायी दोष सिद्व हुआ है, जिससे परिषद् की राय में नैतिक चरित्र में ऐसी त्रुटि प्रकट होती है जो उसे उसके व्यवसाय में अनुपयुक्त बनाने के लिए पर्याप्त है या सम्यक् जांच के पश्चात आचरण का दोषी पाती है, जो परिषद् की राय में किसी भी व्यवसायिक संदर्भ में निंदनीय है, तो रजिस्ट्रार ऐसी सूचना का सारांश तैयार करेगा और उसे परिषद् के सम्मुख ऐसी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगा जैसी परिषद् अधिनियम के उपबन्धों के अधीन करना चाहे :

परन्तु परिषद् धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित व्यवसायी को यदि वह ऐसी बांछा रखता हो, सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र का अभ्यर्पण.––रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी रजिस्ट्रार द्वारा जिसका नाम, रजिस्टर से हटा दिया गया है, ऐसे हटाए जाने की सूचना की प्राप्ति पर, तत्काल अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करेगा।

13. रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन.–– कार्यकारी समिति, और कार्यकारी समिति की अनुपस्थिति में परिषद् किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के प्रत्यावर्तन के मामले पर विचार कर सकेगा, जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्ट्रार को व्यवसायी का नाम विहित फीस के संदाय पर रजिस्टर में पुनः दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

14. प्रवास / स्थानांतरण.––(1) आवेदक, व्यतिकारी रजिस्ट्रीकरण के लिए, अन्य परिषद् के अपने विद्यमान विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के साथ, परिषद् के रजिस्ट्रार को विहित फीस के साथ प्ररूप 'ठ' में आवेदन करेगा।

(2) परिषद् मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र भेजने वाली संबद्ध परिषद् से अनापति प्रमाण–पत्र मंगवाएगी।

(3) संबद्व परिषद् से निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों की मांग करेगी और संबन्ध परिषद् भी उनकी पूर्ति करेगी।

(क) अर्हता प्रमाण–पत्र, जिसके आधार पर मूल रजिस्ट्रीकरण स्वीकृत किया गया था।

(ख) जन्म तिथि, घर का पता, वृत्तिक पता इत्यादि, जैसा रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल आवेदन में दिया है।

(4) दूसरी अन्य परिषद् में अपने रजिस्ट्रीकरण के स्थानांन्तरण के लिए निवेदन करने वाली परिषद् के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हिमाचल प्रदेश में अपने निवास स्थान का साक्ष्य या चिकित्सा व्यवसाय चलाने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(5) किसी अन्य चिकित्सा परिषद् में प्रवास हेतू निवेदन पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा और परिषद् द्वारा अनुमोदन करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

15. द्विप्रतिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी करना.––यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र गुम, नष्ट या विकृत हो जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी उस अवधि के दौरान जब प्रमाण–पत्र प्रवर्तन में हो किसी भी समय रजिस्ट्रार को द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार समाधान हो जाने पर, विहित फीस की प्राप्ति पर, क्षतिपूर्ति बंध पत्र देने पर तथा कार्यकारी समिति के सम्यक् पुष्टिकरण और अनुमोदन के पश्चात्, द्विप्रतिक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण–पत्र के शीर्ष पर द्विप्रतिक प्रमाण–पत्र अंतर्लिखित किया जाएगा।

16. प्रमाणित प्रति की पूर्ति हेतू फीस.––(1) परिषद् या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति, या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति की पूर्ति, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् (फीस) नियम, 2009 में यथा विनिर्दिष्ट विहित फीस की प्राप्ति पर, की जाएगी।

(2) अत्यावश्यक आवेदन की दशा में, मांगी गई प्रति जिस दिन आवेदन किया गया है से आगामी दिन को कार्यालय समय समाप्त होने से पूर्व आवेदक को देने हेतू तैयार की जाएगी।

17. रजिस्टर के पृष्ठों का सत्यापन.––रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को, रजिस्ट्रार द्वारा, संख्याकित और सत्यापित किया जाएगा और वह रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।

————————

प्ररूप–क

(नियम 3 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

रसीद संख्या तारीख.....

फोटो

बैंक ड्राफ्ट संख्या.....तारीख.....

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नामः..... मध्य नाम.....

उपनामः.....विवाहित नाम, यदि कोई है (बड़े अक्षरों में) .....

प्रथम नाम..... मध्य नाम.....

उपनाम..... विवाहपूर्व नाम (विवाहिता महिला की दशा में)

प्रथम नाम..... मध्य नाम..... उपनाम.....

2. पिता का नाम.....

3. लिंग : पुरूष / स्त्री.....

4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थाई पताः

5. (क) दूरभाष संख्या (ख) मोबाइल संख्या

(ग) ई0 मेल पताः

6. तारीख और जन्म स्थानः

7. राष्ट्रीयताः क्या जन्म से / निवास स्थान से भारतीय है, यदि निवास स्थान से है, तो भारतीय नागरिक बनने की तारीख दर्शाएं।

8. इनटर्नशिप के ब्यौरे।

9. अर्हताओं के ब्यौरे।

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय / चिकित्सा संस्थान का नाम	विश्वविद्यालय / अनुज्ञप्ति निकाय का नाम	औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की दशा में इनटर्नशिप पूर्ण करने का वर्ष किसी अन्य मामले में परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष

10. किसी अन्य परिषद् के साथ अन्नंतिम रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे।

11. पते सहित वर्तमान व्यवसायः

मैं, इसके साथ, सत्यापन के लिए, मूल प्रमाण–पत्रों और निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करता हूं :–

(क) पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर के साथ हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो।

(ख) औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक अर्हता सहित राज्य चिकित्सा परिषद् / भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र।

(ग) औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की डिग्री / स्नातकोतर डिग्री / डिप्लोमा पश्च–चिकित्सकीय (पोस्ट डॉक्टोरल) डिग्री।

(घ) जन्म का प्रमाण–पत्र / मैट्रिक (दसवीं) का प्रमाण–पत्र / वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (एस0एस0सी0) / प्रमाण–पत्र परीक्षा / जन्म की तारीख सहित स्कूल (पाठशाला) छोड़ने का प्रमाण–पत्र।

(ङ) पहचान प्रमाण ।

(च) मेरे द्वारा अभिप्राप्त अर्हता के समर्थन में अन्य साक्ष्य जो मूल रूप में मेरे पास है।

नये रजिस्ट्रीकरण के मामले में पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर के साथ हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो / इनटर्नशिप समापन मूल प्रमाण–पत्र / जिसको हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के स्थाई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र सहित वापिस किया जाएगा।

– अन्नतिम रजिस्ट्रीकरण मूल प्रमाण–पत्र।

–जन्म का प्रमाण पत्र / मैट्रिक (दसवीं) का प्रमाण–पत्र / वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र का परीक्षा प्रमाण–पत्र / जन्म की तारीख सहित स्कूल (पाठशाला) छोड़ने को प्रमाण–पत्र।

–पहचान प्रमाण ।

मैं एतद द्वारा ..... बैंक को, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के पक्ष में, शिमला में संदेय, प्रतिदेय फीस के रूप में 1000 / – रू. का (केवल एक हजार रूपये) ..... बैंक ड्राफ्ट संख्या..... तारीख प्रस्तुत करता हूं।

आवेदक का हस्ताक्षर।

शपथ–पत्र

मैं ..... पुत्र श्री.....निवासी..... गांव ..... गांव / मोहल्ला ..... तहसील.....डाक खाना ..... थाना..... जिला.....में व्यवसाय करने के आशय से सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा करता हूं.––

(क) यह कि मैं किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्र न्यायनिर्णित नहीं हुआ हूँ;

(ख) यह है कि मैं नैतिक अद्यमता से अर्न्तगत किसी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय द्वारा कारावास से दोषसिद्व और दण्डादिष्ट नहीं हुआ हूं;

(ग) यह कि मैं अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हूँ;

(घ) यह है कि परिषद् द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर से वृतिक अवचार के लिए मेरा नाम हटाया नहीं गया है;

(ङ) यह है कि मैंने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 (2003 का 16) और तद्धीन बनाए गए नियमों, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् और भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् की आचार संहिता को भी पढ़ लिया है और मैं उक्त अधिनियम, नियमों और आचार संहिता के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूं ।

अभिसाक्षी

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण हेतू किए गए आवेदन के उक्त पैरा (क) से (ङ) में विषय वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं शपथ पर और घोषणा करता हूँ कि कुछ भी सुसंगत छुपाया नहीं गया है, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् आरै भारतीय आर्युविज्ञान परिषद् की आचार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं।

शिमला में ..... तारीख को सत्यापित किया गया।

तारीखः– आवेदक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणितः

अनुप्रमाणन प्रधिकारी के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) .....

पदनाम.....

स्थान.....
तारीख .....2009.

टिप्पण.–– आवेदन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

रजिस्ट्रीकरण आवेदन ..... को प्राप्त हुआ।
डायरी संख्या.....

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने या प्रमाण–पत्र जारी करने हेतू फीस.....को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या..... तारीख.....

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या.....तारीख .....

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या..... वैयक्तिक खाता संख्या.....

लेखाकार के हस्ताक्षर। खजांची के हस्ताक्षर।

जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या..... तारीख.....

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति ..... उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त किए गए।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

नाम.....

तारीख.....

————————

प्ररूप ''ख''

(नियम 3 (2)देखें)

घोषणा

हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् के रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन करने वाला व्यक्ति, अपने आवेदन प्ररूप के साथ, उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित घोषणा अग्रेषित करेगा, अर्थातः–

1. मैं सत्यनिष्ठा से अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूं।

2. धमकी मिलने पर भी, मैं अपने चिकित्सा ज्ञान का मानवीय विधि विरूद्व उपयोग नहीं करूंगा।

3. मैं गर्भधारण संकल्पना के समय से मानव जीवन के प्रति अत्यधिक सम्मान बनाए रखूंगा।

4. मैं धर्म, राष्ट्रीयता, जाति दलगत राजनिति या सामाजिक अवस्थिति के विचार को अपने कर्तव्य और रोगी के मध्य हस्तक्षपे नहीं करने दूंगा।

5. मैं अपने व्यवसाय को विवेक और प्रतिष्ठा के साथ कार्यान्वित करूंगा।

6. मेरे रोगी का स्वास्थ्य मेरा प्रथम महत्व होगा।

7. मैं गोपनियता को जो मुझ तक परिसीमित है आदर दूंगा।

8. मैं अपने शिक्षकों को आदर दूंगा और उनका आभार प्रकट करूंगा, जिसके वे हकदार हैं।

9. मैं सम्पूर्ण शक्ति द्वारा, चिकित्सा वृति की प्रतिष्ठा और प्रभावशाली परम्पराओं को बनाए रखूंगा।

10. मैं अपने सहकर्मियों के साथ आदर और विवेक का व्यवहार करूंगा।

11. मैं मैडिकल काउंसिल (प्रोफैशनल कंडक्ट इंडिक्यूटी एण्ड एथिक्स) रेगूलेशन, 2002. में निरूपित, चिकित्सा आचार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 10 के खण्ड (ग) के अधीन, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित आचार संहिता का पालन करूंगा।

मैंने ये वचन सत्यानिष्ठा से, स्वतन्त्र रूप से और अपने आदर सहित सम्मान से दिए हैं।

हस्ताक्षर.....

नामः.....

स्थानः.....

पताः.....

तारीखः.....

———————

प्ररूप 'ग'

(3 (5), 8 (3), और 10 (3) देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला

रजिस्ट्रीकरण संख्या हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला

तारीखः– चिकित्सक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन)

नाम.....

पिता का नाम.....

अर्हताएं .....

रजिस्ट्रीकरण का स्थान और तारीख.....

पता.....

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह, चिकित्सा रजिस्टर में उपरोक्त विनिर्दिष्ट नाम की प्रविष्टी की सही प्रति है और उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण स्थायी है।

हिमाचल प्रदेश, चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2003 के उपबन्धों के अध्यधीन, यह प्रमाण–पत्र ..... तक विधिमान्य है।

महत्वपूर्ण सूचना

पता परिवर्तन और अतिरिक्त अर्हताओं के बारे में रजिस्ट्रार को तत्परता से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट करें।

रजिस्ट्रार द्वारा की गई समस्त जांचो का, किसी विधिक विवक्षा और शास्ति से बचने के लिए, निश्चय ही उत्तर दिया जाना चाहिए।

वार्षिक चिकित्सा सूची, जिसमें में प्रथम बार नाम आया है, कि प्रति की पूर्ति, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संदाय पर की जाएगी और उसके लिए, किसी शास्ति से बचने के लिए, इसके प्रकाशन से एक मास के भीतर इस कार्यालय से लेना बाध्यकर होगा।

अध्यक्ष मोहर रजिस्ट्रार

———

प्ररूप ''घ''

(नियम–4 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

फोटो

प्राप्ति संख्या.....
तारीख.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... तारीख.....

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण हेतू आवेदन प्ररूप.––

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम

विवाहित नाम यदि कोई हो (बड़े अक्षरों में)

प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम

विवाह पूर्व नामः– (विवाहित महिला की दशा में)

2. पिता का नाम :

3. लिंग पुरूष / महिला

पता (डाक प्रेषण पता): स्थाई पताः

(क) दूरभाष संख्या (ख) मोबाईल संख्या (ग) ई0 मेल पताः–

जन्म का स्थान और तारीख

राष्ट्रीयताः क्या जन्म से / निवास स्थान से भारतीय है, यदि निवास स्थान से है तो भारतीय नागरिक बनने की तारीख दर्शाएं।

प्रारम्भिक शिक्षा (परीक्षा निकाय का नाम और उतीर्ण करने के वर्ष सहित मैट्रिक (दसवी) या इसके समकक्ष उतीर्ण परीक्षा की पूर्ण विशिष्टियां)

परीक्षा निकाय का नाम और उतीर्ण करने के वर्ष सहित इंटर–साईंस / प्री मैडिकल / 10+2 या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण करने की तारीख।

संस्था का नाम जहां आवेदक व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतू चयनित हुआ है (अस्पताल या संस्था) जहां ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना है

क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है।
चिकित्सा महाविद्याालय का नाम जहां पर उपस्थित हुए .....

औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की अंनतिम परीक्षा, उतीर्ण करने की तारीख, मास और वर्ष सहित प्राप्त चिकित्सा डिग्री / डिप्लोमा और विश्वविद्यालय / अनुज्ञापन निकाय का नाम।

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर।

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही है, और मैं हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् और भारतीय, आयुर्विज्ञान परिषद् की आचार संहिता, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं ।

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण.....

आवेदन पीछे की तरफ हस्ताक्षर सहित हाल ही के चार पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस आवेदन के साथ औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की परीक्षा उतीर्ण करने का, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष द्वारा जारी की गई अंनतिम डिग्री / डिप्लोमा या अंनतिम प्रमाण–पत्र, सुसंगत प्रतियों सहित मूल रूप में अग्रेषित किए जाएंगे। मूल प्रति रजिस्ट्रीकरण के अंनतिम प्रमाण–पत्र के साथ वापिस की जाएगी।

जन्म की तारीख का प्रमाण पत्र / माध्यमिक स्कूल प्रमाण–पत्र या इसके समकक्ष।

आवेदन प्ररूप उचित तौर पर और सुरूचिपूर्ण ढंग से भरा जाना चाहिए।

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु अप्रतिदेय फीस के रूप में, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के पक्ष में शिमला में संदेय, 500 / –रु0 (केवल पांच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

रजिस्ट्रीकरण आवेदन..... को प्राप्त हुआ.....डायरी संख्या.....

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने / प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फीस..... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या..... तारीख.....

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या..... तारीख.....

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या.....वैयक्तिक खाता संख्या.....

लेखाकार के हस्ताक्षर ..... खजांची के हस्ताक्षर

जारी किए गए अंनतिम प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या ..... तारीख.....

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति।

उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त किए गए।

अंनतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

नाम..... तारीख.....

————————

प्ररूप (ङ)

(नियम–4 देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

हिमाचल प्रदेश चकित्सा परिषद् का लोगो (प्रतीक) (हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन गठित)

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

फोटो

अंनतिम रजिस्ट्रीकरण संख्या / हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् / अंनतिम .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि
(जिसने बॉक्स में हस्ताक्षर किए है)

पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमति.....को.....विश्वविद्यालय से सम्बद्व (चिकित्सा महाविद्यालय) से ..... (तारीख) को औषधि और शल्य चिकित्सा में स्नातक की अंनतिम, परीक्षा उर्तीण करने पर, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन, व्यवहारिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) हेतु अंनतिम प्रमाण–पत्र दिया गया है।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला की मोहर और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर, इस पर हैं ।

उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, यह प्रमाण–पत्र ..... तक या इंटर्नशिप के पूर्ण होने पर, जो भी पश्चातवर्ती हो, विधिमान्य होगा।

धारक ऐसे प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु, अनुमोदित संस्था में चिकित्सा व्यवसाय करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए हकदार नहीं है।

रजिस्ट्रार

टिप्पण.––यह प्रमाण–पत्र, परिषद् को अंनतिम (स्थाई) रजिस्ट्रीकरण के समय अभ्यर्पित किया जाना है।

———————

प्ररूप 'च'

(नियम 5(1) देखें)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का रूपविधान

रजिस्ट्रीकरण संख्या	नाम	पिता का नाम	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	पता	राष्ट्रीयता	अर्हता	नवीकरण की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप 'छ'

(नियम 8 देखें)

हिमाचल पदेश चिकित्सा परिषद

फोटो

(रसीद) प्राप्ति संख्या.....
तारीख.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या.....तारीख.....
अतिरिक्त अर्हता (ओं) के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्ररूप।

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

   प्रथम नामः मध्य नामः उपनामः

2. पिता का नामः

3. लिंग पुरुष / महिलाः

4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थाई पताः.....

5. (क) दूरभाष संख्या (ख) मोबाईल संख्या (ग) ई0 मेल पताः

   जन्म का स्थान एवं तारीखः

विश्वविद्यालय / अनुज्ञापन निकाय के नाम सहित प्राप्त की गई अतिरिक्त डिग्री / डिप्लोमा का नाम पद्वति और अर्हता प्राप्त करने का वर्ष / स्नातकोतर के विषय भी उपदर्षित किए जाएंगे।

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय / चिकित्सा संस्था का नाम	विश्वविद्यालय / अनुज्ञापन निकाय का नाम	अर्हता अभिप्राप्त करने का वर्ष

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण मूल प्रमाण–पत्र संख्या ..... का, तारीख..... को अभ्यार्पण किया गया और इससे संलग्न है।

पते सहित वर्तमान व्यवसायः–

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर ।

घोषणा

मैं सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही हैं, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की आचार संहिता और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं।

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणः–

1. आवेदन के साथ मूल प्रतियों सहित सुसंगत अतिरिक्त अर्हता की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकेगी जो सत्यापन के पश्चात वापस की जाएगी।

2. आवेदन प्ररूप उचित तौर पर और सुरूचि पूर्ण ढंग से भरा जाएगा।

3. पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर सहित हाल ही के दो पासपोर्ट आकार के फोटो प्रस्तुत किए जाने हैं।

4. आवेदन के साथ फीस के रूप में प्रत्येक अर्हता हेतु 500 / – रु0. (केवल पांच सौ रुपये) का बैंक ड्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के पक्ष में शिमला में संदेय अप्रतिदेय फीस के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त केवल स्नातकोतर अर्हताएं ही रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी।

6. उपरोक्त टिप्पण (5) में दी गई अतिरिक्त अर्हताओं की प्रविष्टियां, केवल उन व्यक्तियों के लिए, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम्, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या (102) की अनुसूचियों में सम्मिलित है रजिस्ट्रीकरण योग्य मूल चिकित्सा अर्हता रखते हो, प्रविष्ट की जाएगी।

7. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, इस आवेदन के साथ मूल रूप में प्रस्तुत किया जाना आपेक्षित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र के बदले में आवेदक को, अतिरिक्त अर्हता(ओं) को सम्मिलित करते हुए, नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

अतिरिक्त अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन .....को प्राप्त हुआ।

डायरी संख्या.....

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने / प्रमाण–पत्र जारी करने हेतू फीस ..... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या..... तारीख.....

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या..... तारीख.....

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या..... व्यैक्तिक खाता संख्या.....

लेखाकार के हस्ताक्षर खजांची के हस्ताक्षर

हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रीकरण मूल प्रमाण पत्र संख्या..... तारीख..... को रदद् किया गया।

रजिस्ट्रार

अतिरिक्त अर्हता सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।

नाम.....

तारीख.....

————————

प्ररूप ''ज''
(नियम 9 देखें)
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्

फोटो

रसीद प्राप्ति संख्या.....
तारीख.....

बैंक ड्राफ्ट संख्या..... तारीख.....

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)

   प्रथम नामः मध्य नामः उपनामः

2. पिता का नामः

3. लिंग : पुरुष / महिलाः

4. पता (डाक प्रेषण पता) स्थायी पता

5. (क) दूरभाष संख्या (ख) मोबाइल संख्या (ग) ई0 मेल पता।

6. अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, के ब्यौरेः–

क्रम संख्या	अर्हता का विवरण	महाविद्यालय / चिकित्सा संस्था का नाम	विश्वविद्यालय / अनुज्ञापन निकाय का नाम	परीक्षा उतीर्ण करने का वर्ष

7. हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या ..... का ..... तारीख को अभ्यपर्ण किया गया और इसके साथ संलग्न है।

8. वर्तमान पता और व्यवसायः–

मैं इसके साथ, सत्यापन के लिए, मूल प्रमाण–पत्र और निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत करता हूं:–

(क) पीछे की तरफ नाम और हस्ताक्षर सहित हाल ही के तीन पासपोर्ट आकार के फोटो।

(ख) हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र।

(ग) स्नातकोतर डिग्री / डिप्लोमा / पश्च चिकित्सकीय (पोस्ट डाक्टोरल) डिग्री प्रमाण–पत्र।

मैं एतद द्वारा..... बैंक को हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के पक्ष में संदेय अप्रतिदेय फीस के रूप में 1000 रु0 (केवल एक हजार रुपये) को बैंक ड्राफ्ट संख्या ..... तारीख.....शिमला में प्रस्तुत करता हूं।

तारीख..... आवेदक के हस्ताक्षर।

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियां सही है और मैं हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की आचार संहिता का, और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् के नियमों का पालन करने का वचन देता हूं ।

आवेदक के हस्ताक्षर।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु डायरी संख्या..... आवेदन..... को प्राप्त हुआ।

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने / प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु फीस..... को प्राप्त की।

(ख) कार्यालय प्राप्ति संख्या..... तारीख.....

(ग) फीस रजिस्टर प्रविष्टि संख्या..... तारीख

(घ) रोकड़ बही पृष्ठ संख्या..... व्यैक्तिक खाता संख्या.....

लेखाकार के हस्ताक्षर खजांची के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र..... क्रम संख्या पर ....., तारीख को नवीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपरोक्त दस्तावेज मूल रूप में प्राप्त किया गया।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम.....

तारीख.....

———————

प्ररूप 'झ'

नियम 9 (3) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 23 की उप–धारा (1) के अधीन साधारण सूचना) प्रेस नोट यह, समस्त चिकित्सा व्यवसायियों, जो औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति और इसकी समस्त शाखाओं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम द्वितीय या तृतीय अनुसूची में यथा विहित अर्हताएं है, को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) जिसे इसमें इसके, पश्चात् अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है, जो..... 2003 से प्रवृत है, यह उपबंध करता है कि, (पशु चिकित्सा औषध या

शल्य पशु चिकित्सा या (होम्योपैथिक) या आयुर्वेद या सिद्वा या यूनानी औषध प्रणाली को अपवर्जित करके), कोई भी व्यक्ति, चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में अर्हित हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात इसे नवीकृत किए बिना, हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यवसाय नहीं कर सकेगा और न ही व्यवसाय को जारी रख सकेगा।

कोई व्यक्ति, जिसके पास रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र है जिसकी विधिमान्यता समाप्त हो गई है, राज्य चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर में अपना नाम जारी रखने की बांछा रखता है, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर रजिस्टर में अपना नाम जारी रखने हेतू रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमला को, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु विहित फीस और सम्बद्व दस्तावेजों के साथ, प्ररूप 'ज' में आवेदन करेगा। यदि आवेदन, उपर्युक्त नियत तारीख को या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यतिक्रमी का नाम हटा देगा।

यह प्रेस नोट सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है। अतिरिक्त ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् स्नोडन अस्पताल, शिमला से प्रत्यक्षतः प्राप्त किए जा सकेगें।

रजिस्ट्रार

———————

(प्ररूप 'ञ')

(नियम 10(1) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् शिमाला)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा–15 की उपधारा (5) के अधीन साधारण सूचना।

प्रेस नोट

यह, समस्त चिकित्सा व्यवसायियों, जो औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति और इसकी समस्त शाखाओं के व्यवसाय में लगे हुए हैं और जिनके पास भारतीय, आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की प्रथम, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में यथाविहित अर्हताएं है, को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) जो ...., 2003 से प्रवृत है के उपबन्धों के अधीन, कोई व्यक्ति, (पशु चिकित्सा औषध या सिद्वा या यूनानी औषध प्रणाली को अपवर्जित करके) चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वति में अर्हित हो, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना राज्य हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय नहीं कर सकेगा और न ही व्यवसाय को जारी रख सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम 1, मई 1961 से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद रजिस्टर में प्रविष्ट था और उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन तक जिसका नाम रजिस्टर में बना रहा हो, वह हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 के अधीन तैयार किए गए। रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा।

कोई व्यक्ति, जो राज्य चिकित्सा रजिस्टर में ..... को या के पश्चात् अपना नाम जारी रखने या प्रविष्ट करने की बांछा रखता है, तो वह साधारण नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान से पूर्व, अधिनियम की धारा 15 के अधीन उसके द्वारा बनाए रखे गए रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करने हेतु रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्, शिमला को रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु विहित फीस सहित प्ररूप 'ज' में आवेदन करेगा।

यह प्रेस नोट सर्वसाधारण की जानकारी हेतू प्रकाशित किया गया है। अतिरिक्त ब्यौरे, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्, स्नोडन अस्पताल, शिमला से प्रत्यक्षतः प्राप्त किए जा सकेंगे ।

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्।

————————

प्ररूप 'ट'

(नियम 10 (1) देखें)

(हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की धारा 15 की उप धारा (5) के अधीन नोटिस)

सेवा में,

श्री .....
.....
.....

महोदय,

यह आप के ध्यान मे लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) की अधिनियमिति से कोई भी व्यक्ति, चाहे वह औषध की आधुनिक वैज्ञानिक पद्वाति में अर्हित हो, हिमाचल प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना और प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात इसे नवीकृत किए बिना हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यवसाय नहीं कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम 1 मई, 1961 से पूर्व भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के रजिस्टर में प्रविष्ट था तथा उक्त अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूववर्ती दिन तक जिसका नाम रजिस्टर में बना रहा हो, वह राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर में अपना नाम बनाए रखने का हकदार होगा।

2. आप का नाम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के रजिस्टर में ..... को अर्थात 1 मई, 1961 से पूर्व, रजिस्ट्रीकृत था और ..... दिन 2003 तक अर्थात हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2003 (2003 का 16) के प्रारम्भ की तारीख तक, ऐसे ही जारी रहा और इस प्रकार आप अपना नाम राज्य रजिस्टर में बनाए (जारी) रखने के हकदार है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप, राज्य रजिस्टर में..... को या के पश्चात् अपना नाम जारी रखने या प्रविष्ट करने की बांछा रखते हैं तो आप इस सूचना के जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान से पूर्व अधिनियम की धारा 15 के अधीन बनाए रखे गए राज्य चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने हेतु परिषद् के रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतू विहित फीस और सम्बद्व दस्तावेजों सहित, प्ररूप 'ज' में आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्।

प्ररूप –'ठ'

(नियम 14(1) देखें)

चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यतिकारी (पारस्परिक) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप।

सेवा में,

रजिस्ट्रार
हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद्,
शिमला।

महोदय,

मैं, निवेदन करता हूं कि ..... के अधीन मेरा नाम चिकित्सा व्यवसायी के रूप रजिस्ट्रीकृत करने की कृपा करें।

मैं ..... परिषद्, का रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी हूं। ..... परिषद् द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न है। मैं हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने का आशय रखता हूं।

व्यतिकारी रजिस्ट्रीकरण हेतु.....रुपये की फीस का बैंक ड्राफ्ट, आप को भेज दिया गया है।

मैं नीचे आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

1. पूरा नाम / (बड़े अक्षरों में) .....
2. पिता / पति का नाम.....
3. जन्म की तारीख एवम् स्थान.....
4. अर्हताएं जिसके आधार पर ..... परिषद् से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया था।
5. आवासीय / दिपता
6. व्यवसायिक पता
7. नियोजक यदि कोई है, का नाम।
8. डिग्री / डिप्लोमा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति / अनुप्रमाणित प्रति संलग्न हैं।

भवदीय,

(आवेदक का नाम)

तारीख.....
स्थान.....

निर्देश

इस आवेदन में प्रविष्ट नाम विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा में प्रविष्ट आवेदक के नामों से यथावत समरूप होना चाहिए।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव ।

[*Authoritative English Test of this Department Notification No. HFW-B(A)* 2-2/2001-*I, dated* 16-8-2007 *as required under clause (*3*) of Article* 348 *of the constitution of India.*]

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 13th August,* 2009

No. HFW-B(A)2-2/2001-I.—Whereas the draft rules titled as the Himachal Pradesh Medical Council(Registration) rules were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) on 14-9-2007 *vide* this department notification of even number dated 16-8-2007 for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby as required under section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, within a period of 30 days from the date of publications ;

And whereas, no objection/suggestion has been received in this behalf from general public on the said draft rules during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-31 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to made the following rules] namely:—

RULES
PART- I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Medical Council (Registration) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003);

(b) " Council" means the Himachal Pradesh Medical Council constituted under section 3 of the Act ;

(c) " Execute Committee" means the Executive Committee of the Council constituted under section 11 of the Act;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh;

(f) "prescribed fees" means the fees prescribed by the State Govt. under the Himachal Pradesh Medical Council (Fees) Rules, 2009 or under any other provisions of the Act;

(g) "President" means the President of the Council;

(h) "register" means the register of medical practitioners prepared and maintained under section 15 of the Act;

(i) "Registrar" means the Registrar of Council to be appointed by the Council from time to time under section 14 of the Act

(j) "section" means a section of the Act;

(k) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh, and

(l) "Vice-President" means the Vice President of the Council.

(2) The terms and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

PART-II

REGISTRATON

3. Registration of practitioners.—(1) Any person who possesses any of the qualifications in the First, Second or Third Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No.102 of 1956) shall, subject to any conditions laid down by or under that Act, and is in service in connection with, or wishes to practise in, modern scientific system of medicine in the State of Himachal Pradesh, apply for registration in the live register of the Council by applying to the Registrar in Form "A" alongwith copies of certificates of educational qualifications acquired, four passport size photographs and prescribed fees.

(2) Each applicant, at the time of making an application for registration under this rule shall submit duly signed declaration in form 'B', alongwith a certificate that he/she had read and agreed to abide by the same.

(3) The Registrar may, after examining the application, require the applicant to furnish such other information or documents as he may deem necessary to establish the claim of the applicant.

(4) If the Registrar, on receipt of the application under sub-rule (1) or on receipt of further information or documents under sub-rule (3) from the applicant and after making such further inquiry, as he may deem proper, is satisfied that the applicant is entitled to have his name entered in the register, he shall enter his name in the register and if he is not so satisfied he shall reject the application.

(5) The person whose name has been entered in the register under sub-rule (4) shall be issued a certificate in Form "C" by the Registrar on payment of prescribed fee and the persons whose application is rejected shall be informed of the decision within fifteen days of the date on which the order is passed on the application.

(6) Every practitioner registered under section 15 shall renew his registration after every three years, by making an application to the Registrar accompanied by the fee prescribed. The Registrar shall endorse the renewal on the original certificate.

4. Provisional registration.—Notwithstanding anything to the contrary contained rule 3, any person, who has passed the qualifying examination of any University or Medical Institution in India for the grant of a recognized medical qualification shall be entitled to be registered provisionally for the purpose of internship training and on an application made for provisional registration to the Registrar in Form "D" alongwith the prescribed fees, the Registrar will issue a certificate of provisional registration in Form "E".

5. Preparation of register.—(1) The register of medical practitioners for the State of Himachal Pradesh referred to in sub-section (1) of section 15 shall be in Form "F".

(2) The Registrar shall publish a notice in the Official Gazette and in such newspapers, as the Council may select about the register having been prepared and the register shall come into force from the date of the publication of such notice in the Official Gazette.

(3) The Registrar shall publish, annually, on or before a date to be decided by the Executive Committee, or in case Executive Committee is not constituted by the Council, an addendum and corrigendum to the list to be published and after the publication of the name in the register, the last edition of that alone shall be legal evidence of registration.

6. Change of name to be intimated to the Registrar.- If a registered practitioner changes his name, he shall immediately inform the Registrar about the same and satisfy the Registrar that he has already notified the fact of the change of name in a leading newspaper having wide circulation in the area in which he carries on his practice. The Registrar shall on being so satisfied and on receipt of prescribed fee enter the changed name in the register accordingly. Necessary change in the registration certificate will also be made by the Registrar.

7. Change of address.- Every registered practitioner shall send to the Registrar immediate notice of any change in his address so that his correct address may be duly inserted in the register otherwise the name of such practitioner is liable to be erased from the register.

8. Entries in the Register regarding additional qualifications.- (1) Persons registered with the Council are entitled to apply for entering additional qualifications acquired by him as specified in the Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No.102 of 1956) in Form "G" on the Council's register on payment of the prescribed fee.

(2) The applicant shall furnish alongwith his application under sub-rule (1), the relevant degree, diploma, as the case may be, duly attested by a Gazetted Officer, on the basis of which entry in the register is sought and the Registrar may require the applicant to produce the original degree or diploma, as the case may be, to satisfy his claim.

(3) After scrutiny of the application for additional qualification (s), and further information furnished under sub-rule (2) a new registration certificate shall be issued incorporating the additional qualifications in lieu of the original certificate of registration in Form "C" returned by the applicant and the period of validity of the certificate shall remain as the original certificate with a mention of date incorporating the additional qualification(s).

(4) If the Registrar, either on receipt of application under sub-rule (1) or further information furnished by the applicant under sub-rule(2) and after making such further enquiry as he may deem fit, is satisfied that the applicant is not entitled to have the degree or diploma, as the case may be, entered in the register, he shall reject the application:

Provided that no order rejecting any application shall be passed without giving the applicant an opportunity of being heard.

9. Renewal of registration.—(1) The registration certificate can be renewed by the Council on receipt of application in Form "H" alongwith the fee prescribed for renewal of registration.

(2) The Registrar shall consider the application made under sub-rule (1) and if found fit shall renew the registration.

(3) The Registrar shall, after the date of publication of the notice under sub-section (6) of section 15, on such date as the Executive Committee may with the previous sanction of the Government, decide, and every three years thereafter, cause a notice in Form "I" to be published in the Official Gazette, calling upon all the registered practitioners to make an application within a period of 45 days from the date of publication of the notice, to the Registrar for the continuance of their names on the register.

10. Notice for registration under section 15 (3).—(1) The Registrar shall, within a period of five years from the commencement of the Act, publish a General notice in Form "J" in the Official Gazette and in two such newspapers, as the Council may select, calling upon every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961, in the Indian Medical Council register and continued in such registration on the day immediately preceding the date of the commencement of the Act, to pay to the Registrar, the prescribed fee if he desires to have his name entered in the register maintained under the Act, and shall also send individual notice in Form “K” for like purpose by registered post to every such person at his last known address.

2. The name of every person referred to in sub-rule (1), who applies for entry of his name in the register and pays the fees prescribed for the renewal of the registration, before the expiry of the period of two months from the publication of the General notice in the Official Gazette shall be entered in the register.

3. The person whose name has been entered in the register under sub-rule(2), shall be issued a certificate in Form "C".

11. Removal from register.—Whenever information reaches the office of the Registrar that a practitioner has been convicted of a cognizable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973, which discloses such defect of a moral character as is, in the opinion of the Council sufficient to make him unfit to practise in his profession or has been found, after the due enquiry, guilty of conduct which is in the opinion of the Council, infamous in any professional respect, the Registrar shall make an extract of such information and place the same before the Council for such action as the Council may like to take under the provisions of the Act:

Provided that the Council, shall, before passing an order under clause (b) of sub-section (1) of section 22, give the practitioner concerned an opportunity of being heard, if so desired by him.

12. Surrender of registration certificate.—A registered practitioner whose name is removed from the register by the Registrar shall on receipt of an intimation of such removal forthwith surrender his registration certificate to the Registrar.

13. Restoration of registration.—The Executive Committee, and in the absence of Executive Committee the Council, may consider a case of restoration of registration of a person whose name has been struck off from the register and may direct the Registrar to re-enter the name of the practitioner in the register on payment of the prescribed fees.

14. Migration/Transfer.—(1) Applicants for reciprocal registration shall apply in Form "L" with prescribed fee to the Registrar of the Council together with his existing valid registration certificate of the other Council in original.

2. The Council shall call for no objection certificate from the concerned Council sending the original registration certificates.

3. The copies of the following documents shall be called for from the concerned Council and the concerned Council shall also furnish the same:—

(a) qualification certificate on the basis of which original registration was granted;

(b) date of birth, home address, professional address etc. as furnished in the original application for registration.

(4) The registered medical practitioner of the Council requesting for transfer of his/her registration to other Council shall have to produce proof of residence or proof of carrying on medical practice in Himachal Pradesh.

(5) Requests for migration to another Medical Council shall be considered by the Council and after the approval by the Council "No objection Certificate" shall be issued by the Registrar.

15. Issue of duplicate registration certificate.—If a registration certificate is lost, destroyed or mutilated, the registered practitioner may at any time during which the certificate is in force, apply to the Registrar for a duplicate certificate and the Registrar shall on being satisfied issue, on receipt of fee prescribed, on furnishing an indemnity bond and after due confirmation and approval of the Executive Committee, a duplicate certificate. The duplicate certificate shall be inscribed on the top of the certificate.

16. Fee for supply of certified copy.—(1) The copy of any order passed by the Council or the Registrar or any entry in the register shall be supplied on receipt of prescribed fee as specified in the Himachal Pradesh Medical Council (fee) Rules, 2009.

(2) In case of urgent application, the copy sought for shall be ready for delivery to the applicant by the close of office hours of the day following that on which the application is made.

17. Verification of pages of register.—Each page of the register shall be numbered and verified by the Registrar and he shall sign each of the pages of the resister.

FORM-A

(*See* rule 3)

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Receipt No. .....
Dated: .....

Photo

Bank Draft No. ..... Date .....

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)

   First Name: _____ Middle Name:_____ Surname :_____

   Married name, if any (in block letters)

   First Name: _____ Middle Name: _____ Surname:_____

   Maiden Name (in case of married women)

   First Name:_____ Middle Name: _____ Surname:_____

2. Father's Name:
3. Gender: Male/Female:
4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:
7. Nationality: Whether Indian by Birth/by Domicile, If by Domicile, state date of becoming Indian Citizen.
8. Details of Internship:
9. Details of Qualifications:

Sr. No.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of completion of Internship in case of Bachelor of Medicine and Surgery/in any other case year of passing examination.

10. Details of Provisional Registration/Registration with any other Council.

11. Present occupation with address:

I submit herewith original certificates for verification and submit copies of the following certificates:—

(a) Four recent passport size photographs with name and signature at the backside.

(b) State Medical Council/Medical Council of India registration Certificate with Bachelor of Medicine and Surgery Qualification.

I Bachelor of Medicine and Surgery Degree/Post Graduate Degree/Diploma/Post Doctoral Degree.

(d) Birth certificate/Matriculation certificate/Senior Secondary Certificate Exam Certificate/School Leaving Certificate with Date of Birth.

(e) Identity proof

(f) Other evidence in support of my having obtained the qualification which I am possessing in original.

In case of fresh registration

* Four recent passport size photographs with name and signature at the backside.
* Original Internship/Completion Certificate. The same shall be returned alongwith Himachal Pradesh Medical Council's Certificate of permanent registration.
* Original Provisional Registration Certificate.
* Birth Certificate/Matriculation Certificate/Senior Secondary Certificate Exam Certificate/School Leaving Certificate with Date of Birth.
* Identity Proof.

I hereby submit a Bank Draft No. ..... dated------- drawn on ..... Bank for Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) as non-refundable fee in favour of Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla.

Signature of Applicant.

AFFIDAVIT

I _____S/o Sh._____ resident of_____ village _____ intending to practise in village/Mohala _____ Tehsil _____ Post Office_____Police Station _____ Distt. _____ solemnly declare as follows:—

(a) that I have not been adjudicated by a competent Court to be of unsound mind;

(b) that I have not been convicted and sentenced by a criminal Court to imprisonment for any offence involving moral turpitude;

I that I am not undischarged insolvent;

(d) that my name has not been removed from the register of practitioners maintained by the Council for professional misconduct;

(e) that I have gone through the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (16 of 2003) and rules framed thereunder; and also the Code of Ethics of the Himachal Pradesh Medical Council and Medical Council of India and I promise to abide by the provisions of the said Act, rules and Codes of Ethics.

Deponent.

DECLARATION

I solemnly declare and affirm that the contents given in the application for registration in paras (a) to (e) above are correct to the best of my knowledge and belief. I further declare on oath that nothing relevant has been concealed and undertake to abide by the Code of Ethics of the Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Verified on _____ at Shimla.

Signature of Applicant.

Dated:

ATTESTED:

Signature of the Attesting Authority .....

Name in full (Block Letters) .....

Designation .....

Place ..... Dated ..... 2009.

Note.—The application to be attested by the Magistrate of Ist Class or the Notary Public.

(For Office Use only)

Registration Application received on ..... Diary No. .....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on .....

(b) Official receipt No. ..... dated .....

I Fee register entry No. ..... dated .....

(d) Cash Book page No. ..... Personal ledger No. .....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier

Sr.No. of Registration Certificate Issued ..... dated .....

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate
Received the above document in original.
Signature of registered person .....

Name .....

Date .....

FROM "B"
[see rule 3 (2)]
DECLARATION

Person applying for registration with Himachal Pradesh State Medical Council shall forward alongwith his application form the following declaration duly signed by him, namely:—

1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.

2 . Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

3. I will maintain utmost respect for human life from the time of conception.

4. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene between my duty and my patient.

5. I will practise my profession with conscience and dignity.

6. The health of my patient will be my first consideration.

7. I will give respect to secrets which are confined in me.

8. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.

9. I will maintain by all means in power, the honour and noble traditions of medical profession.

10. I will treat my colleagues with all respect and dignity.

I1. I shall abide by the Code of medical ethics as enunciated in the Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002;and the Code of Ethics prescribed by the Himachal Pradesh Medical Council, under clause I of section 10 of the Himachal Pradesh Medial Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003).

I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Signature _____

Name: _____

Place: _____

Address: _____

Date: _____

FORM-C
[See rules 3, (5) & 8 (3) 10 (3)]

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL SHIMLA

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL SHIMLA
LOGO

Registration No.

Himachal Pradesh
Medical Council,
Shimla.

Dated:

Signature of Doctor

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(Under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003)
Name _____
Father's Name_____

Qualifications _____

Date & Place of Registration_____

Address _____

_____

I do hereby certify that this is a true copy of the entry of the above specified name in the Medical Register and the above Registration is Permanent.

Subject to the provisions of the Himachal Pradesh, Medical Council Act, 2003 this Certificate is valid upto _____.

IMPORTANT NOTICE

1. Report change of address and additional qualifications promptly to the Registrar within a week.

2. All enquires made by the Registrar should be answered without fail to avoid any legal implications and penalty.

3. A copy of the Annual Medical List wherein the name first appears shall be supplied on payment to every person registered and shall be obligatory for him/her to take from this office within a month of its publication to avoid any penalty.

President **SEAL** **Registrar**

FORM-D
(See rule 4)
HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Photo

Receipt No. .....
Dated: .....

Bank Draft No. ..... Date .....

APPLICATION FORM FOR PROVISIONAL REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)

   First Name: Middle Name: Surname:

   Married name, if any, (in block letters)

   First Name: Middle Name: Surname:

   Maiden Name (in case of married women)

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5.(a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:

7. Nationality: Whether Indian by Birth/by Domicile, If by Domicile, state date of becoming Indian Citizen.

8. Preliminary Education (full particulars of matriculation or equivalent examination passed with name of the examining body and year of passing).

9. Date of passing Inter-Science/Pre-Medical/10+2 or equivalent examination with name of the examining body and year of passing.

10. Name of the Institution where applicant has been selected for practical training (whether the Hospital or Institution) where such training is to be undertaken is recognized by the Medical Council of India.

11. Name of the medical college attended.

12. Name of the medical degree/diploma obtained and University/Licensing Body with date, month and year of passing the final Bachelor of Medicine and Surgery examination with the Roll No.

Date ...... Signature of the Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Date......... Signature of Applicant.

Note:

1. Application is to be submitted at the office of the Himachal Pradesh Medical Council alongwith four recent passport size photographs with signature at the backside.

2. Provisional degree/diploma or provisional certificate of having passed the Bachelor of Medicine and Surgery examination issued by the Dean of the College/University in original along with relevant copies be forwarded with this application. The original shall be returned with the provisional certificate of registration.

3. Certificate of date of birth/Secondary School Certificate or equivalent).

4. The application form shall be properly and neatly filled up.

5. Bank Draft for Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla shall be submitted with the application as non-refundable fee for provisional registration.

(For Office Use only)

Registration application received on .... Diary No. ....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on ……………….……....

(b) Official receipt No. .... dated ....

(c) Fee register entry No. .... dated ....

(d) Cash Book page No. ....Personal ledger No. ....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Sr.No. of Provisional Registration Certificate Issued .... dated ....

Acknowledgement of receipt of Provisional Registration Certificate……………………………...…

Received each of the above document in original.

Signature of provisionally registered person ....

Name ....

Date ....

FORM-E
(See rule 4)
HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Logo of Himachal Medical Council
(Constituted under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003)

CERTIFICATE OF PROVISONAL REGISTRATION

Photo

Provisional Registration No. Himachal Pradesh Medical Council/
Provisoinal / .....

This is certify that
(Who has signed in the box

Son/Daughter of Shri/Smt..... having passed the final Bachelor of Medicine and Surgery Examination on ..... (date) from ..... (Medical College) affiliated to the University of ..... has been given Provisional Registration under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003, for the purpose of practical training (internship).

In witness whereof, the seal of the Himachal Pradesh Medical Council Shimla and signature of the Registrar, are herewith affixed.

Subject to the provisions of the said Act, this certificate is valid upto ..... or the completion of the Internship, whichever is later.

The holder shall be entitled to practise medicine in the approved institution for the purpose of such training and for no other purpose.

Registrar

N.B.—This certificate is to be surrendered to the Council at the time of Final Registration.

FORM-F
[See rule 5 (1)]
HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL
FORMAT OF REGISTER OF MEDICAL PRACTITIONERS

Regn No.	Name	Father's Name	Date of Registration	Address	Nationality	Qualification	Date of renewal	Remarks

FORM-G
(See rule 8)
HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Photo

Receipt No. .....
Dated: .....

Bank Draft No. ..... Date .....

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATION(S)

1. Name of the Applicant (in block letters)

   First Name: Middle Name: Surname:

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent

   Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Date and place of birth:

7. Nomenclature of additional Degree/Diploma obtained with the name of the University/Licensing Body and the year of obtaining the qualification. The subject of Post Graduation(s) shall also be indicated.

Sr.No.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of obtaining the qualification

8. Original Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate No. ..... dated ..... surrendered and attached herewith.

9. Present Occupation with address:

Date: ..... Signature of the Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of Himachal Pradesh Medical Council.

Date _____ Signature of Applicant.

Note:—

1 . Copies of relevant additional qualification may be submitted with the application alongwith originals, which shall be returned after verification.

2. The application form shall be properly and neatly filled up.

3. Two recent passport size photographs with name and signature at the backside are to be submitted.

4. Bank draft for Rs. 500 (Rupees Five Hundred only) as non-refundable fee per qualification in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla shall be submitted alongwith the application as fee.

5. Only post graduate qualifications recognized by the Medical Council of India shall be entered in the register.

6. Entries of additional qualifications as under note 5 shall be entered only for those persons who possess a registerable basic medical qualification as included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (Central Act No. 102 of 1956).

7. The Certificate of Registration with the Himachal Pradesh Medical Council shall be required to be submitted, in original, with this application. A new certificate of Registration incorporating the additional qualification(s) shall be issued to the applicant in lieu of the original certificate of Registration submitted by the applicant.

(For Office Use only)

Application for registration of additional qualifications received on.....

Diary No. .....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on .....

(b) Official receipt No. ..... dated .....

(c) Fee register entry No. ..... dated .....

(d) Cash Book Page No. ..... Personal ledger No. .....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Original Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate No..... dated .....is cancelled.

Registrar

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate with Additional Qualification

Signature of registered person.....

Name .....

Date .....

FORM-H
(See rule 9)
HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

Photo

Receipt No. ….....
Dated: ….....

Bank Draft No. …..... Date ….....

APPLICATION FORM FOR RENEWAL OF REGISTRATION

1. Name of the Applicant (in block letters)

   First Name: Middle Name:

   Surname:

2. Father's Name:

3. Gender: Male/Female:

4. Address (Mailing Address): Permanent Address:

5. (a) Telephone Number: (b) Mobile No. (c) E-mail Address:

6. Details of additional qualification, if any:

Sr.No.	Description of the qualification	Name of the College/Medical Institution	Name of the University/Licensing Body	Year of Passing the examination

7. Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate No. …..... dated ….....surrendered and attached herewith.

8. Present occupation with address:

I submit herewith original certificates for verification and submit copies of the following certificates:-

(a) Three recent passport size photographs with name and signature at the backside.

(b) Himachal Pradesh Medical Council Registration Certificate.

(c) Post-Graduate Degree/Diploma/Post-Doctoral Degree Certificate.

I hereby submit a Bank Draft No. …..... dated …..... drawn on …..... Bank for Rs. 1000 (Rupees One Thousand only) as non-refundable fee in favour of the Himachal Pradesh Medical Council payable at Shimla.

Date _____ Signature of Applicant.

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct, and undertake to abide by the Code of Ethics of Himachal Pradesh Medical Council and of the Medical Council of India and by the Rules of the Himachal Pradesh Medical Council.

Signature of Applicant.

(For Office Use only)

Application for renewal of registration received on …..... Diary No. ….....

(a) Fee for making entry in the register/or issuing certificate received on ….....

(b) Official receipt No. …..... dated ….....

(c) Fee register entry No. …..... dated ….....

(d) Cash Book Page No. …..... Personal ledger No. ….....

Signature of the Accountant. Signature of the Cashier.

Serial No. of Registration Certificate Renewed …..... dated ….....

Acknowledgement of receipt of Registration Certificate

Received the above document in original.

Signature of registered person ….....

Name ….....

Date ….....

FORM-I

[See rule 9(3)]

HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL

[General Notice under sub-section (1) of section 23 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003)]

PRESS NOTE

It is brought to the notice of all the medical practitioners engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches and have qualifications as prescribed in the First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act No. 102 of 1956) that Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) thereafter referred to as the Act, which came into force with effect from _____ the day _____ 2003, provides that no person though qualified in modern scientific system of medicine (excluding veterinary medicine or veterinary surgery or the Homeopathic or the Ayurveda or the Sidha or the Unani System of medicine) can practice or continue to practice in the State of Himachal Pradesh without

having a certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council, constituted under section 3 of the said Act and getting it renewed after every three years.

Any person who has certificate of registration, validity of which has expired desirous of getting his name continued in the State Medical Practitioners Register, should within a period of 45 days from the date of publication of this notice, make an application in form H_____, alongwith connected documents and fee prescribed for renewal of registration to the Registrar, Himachal Pradesh Medical Council Shimla for continuance of his name on the register. If the application is not made on or before the date fixed, as aforesaid, the Registrar shall remove the name of the defaulter from the register.

This press note is published for general information. Further details may be obtained directly from the office of Himachal Pradesh Medical Council, Snowdon Hospital, Shimla.

REGISTRAR

FORM -J

[Rule see 10 (1)]

HIMACHAL PRADSH MEDICAL COUNCIL, SHIMLA

[General notice under sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003)]

PRESS NOTE

It is brought to the notice of all the medical practitioners engaged in the practice of modern scientific system of medicine and all its branches, and have qualifications as prescribed in First, Second or Third Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act No. 102 of 1956) that under the provisions of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) (hereinafter called the Act) which has come into force with effect from the day of _____, 2003 no person though qualified in modern scientific system of medicine (excluding veterinary medicine or the Sidha or the Unanii system of medicine) can practice or continue to practice in the State of Himachal Pradesh without having a certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council constituted under section 3 of the said Act.

Under sub-section (4) of section 15 of the said Act every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961, in the Indian Medical Council Register and continued in such Register and continued in such register on the day immediately preceding the date of the commencement of the said Act is entitled to have his name entered in the register prepared maintained under the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003.

Any person who is desirous of getting his name continued/entered in the State Medical Register on or after _____ shall make the application in Form H_____ alongwith fee prescribed for renewal of the registration to the Registrar, Himachal Pradesh Medical Council, Shimla to have his name entered in the register maintained by him under section 15 of the Act, before the expiry of the period of two months from the date of publication of the general noticed in the Official Gazette.

This press note is published for general information. Further details may be obtained directly from the office of the Himachal Pradesh Medical Council, Snowdon Hospital, Shimla.

Registrar,
Himachal Pradesh Medical Council.

_____

FORM -K

[See rule 10 (1)]

[NOTICE UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 15 OF THE HIMACHAL PRADESH MEDICAL COUNCIL ACT, 2003 (ACT NO. 16 OF 2003)

To

Shri _____

_____

_____

Sir,

This is to bring to your kind notice that with the enactment of the Himachal pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No.16 of 2003) that no person though qualified in modern scientific system of medicine can practice in the State of Himachal Pradesh, without having certificate of registration from the Himachal Pradesh State Medical Council and getting it renewed after every three years. Under sub-section (4) of section 15 of the said Act, every person, whose name was entered on a date prior to Ist May, 1961 in the Indian Medical Council Register and continued in such register on the day immediately preceding the date of commencement of the said Act is entitled to have his name continued in the register prepared by the State Medical Council.

2. Your name was registered in the register of the Indian Medical Council on _____ *i.e.*, prior to the Ist May, 1961, and continued as such till the _____ day of _____2003 *i.e.* the date of commencement of the Himachal Pradesh Medical Council Act, 2003 (Act No. 16 of 2003) and as such you are entitled to get your name continued in the State Register.

3. Take notice that, if you are desirous of getting your name continued/entered in the State register on or after _____ you shall make the application in Form H_____, alongwith connected documents and fee prescribed for renewal of registration, to the Registrar of the Council, to have your name entered in the State Medial Practitioners Register maintained under section 15 of the Act, before i.e. expiry of period of two months from the date of issue of this notice.

Registrar
Himachal Pradesh Medical Council.

FORM-L

[See rule 14 (1)]

FORM OF APPLICAOTN FOR RECIPROCAL REGISTRATION AS MEDICAL PRACTITIONER

To

The Registrar,
Himachal Pradesh Medical Council,
Shimla.

Sir,

I request that my name be registered as medical practitioner under the _____. I am registered medical practitioner of ..... Council, The certificate in original issued by ..... Council is attached. I intend to carry on medical practice in Himachal Pradesh.

The fee of Rs..... for reciprocal registration has been sent to you by bank draft.

I give below the necessary particulars:—

Full name (in block letters)

Father's/Husband's name

Place and date of birth

Qualifications on the basis of which registration was obtained from ..... Council.

(1)

(2)

5. Residential address.
6. Professional address.
7. Name of the employer, if any,
8. Original/attested copy/copies of the degree/diploma/certificate of registration is/are attached.

Yours faithfully,

(Name of the applicant)

Dated the .....
Place: .....

INSTRUCTION

The names entered in this application must exactly correspond with the names of the applicant entered at the University or other examination.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 01*st September*, 2009

No. Home-B(B)15-23/2006 (Jails).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Rikhi Ram, Deputy Superintendent, Jail from Model Central Jail, Kanda District Shimla to Sub Jail Mandi against vacant post, in condonation of short stay, with immediate effect in the public interest.

The above officer is directed to join his duty at the new place of posting and submit his charge reports of relinquishment and assumption to this Department immediately.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

———

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित